

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक ई-33/लैटे/(एफ-686)/2019/

दिनांक

आदेश

श्री ओम प्रकाश देवडा पुत्र श्री रमेश चन्द देवडा, तत्कालीन लैब टेक्नीशियन जिन्हें निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे/कोर्टकेस/2001/359 दिनांक 30.04.2001 द्वारा राज्य सेवा से तुरन्त प्रभाव से पृथक किया गया था ने उक्त आदेश के विरुद्ध (अवमानना याचिका संख्या 607/2019) एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2392/2001 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:-

" In view of above, writ petition is allowed and the impugned order dated 30.4.2001 is quashed and set aside. Taking into consideration that the petitioner was a regular employee working with the department, and had already put in service of 14 years and had already been granted first selection scale, the respondents are directed to reinstate the petitioner and give him all consequential benefits including the arrears of service and pay fixation under the Revised Pay-scale from time to time. The petitioner shall also be entitled to receive interest @ 6% per annum. Compliance of that order be made within a period of three months, failing which the petitioner shall be free to initiate contempt proceedings against the respondent/s."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.12.2018 को स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2019 के समक्ष रखा गया जिसके जारी बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 15.07.2019 के बिन्दु संख्या 12 पर समिति द्वारा निर्णय में जहा तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश " the respondents are directed to reinstate the petitioner" की सीमा तक आदेश की पालना करने तथा " give him all consequential benefits including the arrears of service and pay fixation under the Revised Pay-scale from time to time. The petitioner shall also be entitles to receive interest @6% per annum." की सीमा तक पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 01.11.2018 के विरुद्ध कार्य नहीं तो वेतन नही के आधार पर सर्वसम्मति से अपील किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.12.2018 के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता श्री ओम प्रकाश देवडा पुत्र श्री रमेश चन्द देवडा को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के पारित आदेश दिनांक 04.12.2018 से राज्य सेवा में बहाल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड के अधीन लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 28/8/2019

क्रमांक : ई-33/लै.टे/(एफ-686)/2019/ 506
प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
- 2 उप निदेशक (प्रशासन) एवं समन्वयक मुख्यालय।
- 3 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 6 श्री ओम प्रकाश देवडा पुत्र श्री रमेश चन्द देवडा निवासी-हरीओम निवास, राजगली, झालरापाटन जिला झालावाड (राज)।
- 7 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर